न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. लक्ष्मणराम पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी बेरा गोरवा सोजत सिटी तहसील वगेरह

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जेठी देवी पत्नि ढगलाराम
2. परमानन्द
3. लक्ष्मीनारायण पिसरान ढगलाराम
4. गोपाराम पुत्र राजूराम
5. पुनीत पुत्र फाउलाल
6. रामचन्द्र पिसरान मंगलाराम
7. फाउलाल
8. प्रकाश के कायम मुकाम
   8/1 चन्द्र प्रकाश पुत्र प्रकाश
   8/2 कन्या पुत्र प्रकाश
   8/3 ज्याति पुत्री प्रकाश
   8/4 गंगा पत्नि प्रकाश
9. चम्पालाल पिसरान पोकरराम के का0मु0
   9/1 गीता पत्नि चम्पालाल
   9/2 कैलाश पुत्र चम्पालाल
   9/3 अशोक पुत्र चम्पालाल
   9/4 धर्मीचन्द पुत्र चम्पालाल
   9/5 उषा पुत्री चम्पालाल
10. केवलराम
11. गोपाराम पिसरान राजाराम तमाम जातियान माली निवासीगण बेरा गोरवा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला – पाली
12. तहसीलदार भूमि धारक सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 37/2015

उपस्थितिः—

01. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 282/4 रकबा 12 बिस्वा की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 12 के वंशज हंसा पुत्र मूला के हक, हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी तथा पुराने खसरा नम्बर 282/3 रकबा 07 बिस्वा की कृषि भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 06, 07 के वंशज जीता, रूधा पिसरान टीकमराम के हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। सेटलमेन्ट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 282/4 तथा 282/3 को संयुक्त करते हुए नये खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै0मु0 मकान तथा खसरा नम्बर 2025 रकबा 0.0300 हैक्टर गै0मु0 रास्ता कायम किया गया। उपरोक्त आराजीयात की भूमि में प्रार्थी के दादा रूधा का 1/3 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता था। प्रार्थी के दादा रूघा का देहान्त हो जाने के पश्चात उनके दो पुत्र हुये जो कमशः भोलाराम व रणछोड है। प्रार्थी भोलाराम का जाईन्दा पुत्र है तथा प्रार्थी के पिता भोलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिससे उपरोक्त आराजीयात की भूमि में 1/3 हक हिस्सा कब्जा काश्त का आता है। सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए विना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थी के हक हकूक, खातेदारी की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पति तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 03 के पिता ढगलाराम के नाम की खातेदारी दर्ज

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

कर दी जबकि सेटलमेन्ट अधिकारी, को खातेदारी अधिकार देना या खातेदारी हटाने का अधिकार प्राप्त नही था। किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा प्रार्थी के दादा रूघा के हक हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पिता ढगलाराम के नाम की दर्ज कर दी ढगलाराम वादग्रस्त आराजीयात में स्ट्रेनजर पर्सन था जिसका सेटलमेन्ट के पूर्व या पश्चात कभी भी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही रहा है जिससे ढगलाराम का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही आता है, जो प्रार्थी के हक व अधिकारों के हक अधिकारों के विरूद्ध वेअसर व शून्य है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों की गलती तथा ढगलाराम के देहान्त हो जाने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया । वादग्रस्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 282/3 तथा 282/4 को संयुक्त कर बनाये गये नये खसरा नम्बर 2024 व 2025 में वादी के दादा रूधा पुत्र टीकमराम के हक, हकूक खातेदारी की कृषि भूमि थी जिस कृषि भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल कर बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट के तहत पेश कर सरहद मौजा सोजत चक चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 2024 की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 282/4 रकबा 12 बिस्वा की कृषि भूमि अवश्य थी हंसा पुत्र मुला की वंशावली अनुसार हंसा तीन विधिक वारिसान राजाराम, पोकरराम, मीसरीदेवी हुए। राजाराम के केलवचन्द, गोपाराम, पुष्पा, पपुडी, कमला, रूकमा, ढगलाई (पत्नी) हुए, इसी प्रकार पोकरराम के चम्पालाल, प्रकाश, फाउलाल, प्यारी, कौशल्या, शोभा, हुए। प्रकाश के चन्दू किनिया, ज्योति गंगा (पत्नि) विधिक वारिसान हुए, इसी प्रकार शोभा के नन्द किशोर, शिल्पा, पदमा विधिक वारिसान है। दुसरी ओर रूगाराम के विधिक वारिसान में भोलाराम, रणछोड, धापूडी हुए। इसमें भोलाराम के लक्ष्मणराम, छुकीदेवी, उनकी तथा रणछोड के ढगलाई, देवी, भीया, रतीया विधिक वारिसान हुए। प्रार्थी ने जानबूझकर हंसाराम एवं रूगाराम की सम्पूर्ण वंशावली को नही बताया है तथा सभी को पक्षकार नही बनाया है। पुराने खसरा नम्बर 282/4 तथा 282/3 को संयुक्त करते हुए नये खसरा नम्बर 2024 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै0मु0 मकान तथा खसरा नम्बर 2025 रकबा 0.0300 हैक्टर गै0मु0 रास्ता कायम किया गया जो सही है। उक्त भूमि पर रूधा का 1/3 हक हिस्सा नही था। प्राथी ने किस्म गे0मु0 मकान लिखा है जिससे उस पर काश्त होना संभव नही है। वर्तमान में प्रार्थी का कोई कब्जा नही है न ही कोई मकान बना हुआ है। खसरा नम्बर 282/3 व 282/4 के खातेदार नेमा, तुलछा, पिसरान, गणेश का 2 हिस्सा व हंसा, भूला, जीता पिसरान टीकम का 1 हिस्सा था। जिसमें सेटलमेन्ट के दौरान ढगलाराम पुत्र नेमाराम का 1/3 हिस्सा तुलछाराम पुत्र गणेशराम का 1/3 हिस्सा एवं हंसाराम, मूलाराम, जीताराम, पिसरान टीकमराम का 1/3 हिस्सा दर्ज अनुसार चला आ रहा है। पर्चा लगान 747 में ढगलाराम पुत्र नेनाराम का 1/3 हिस्सा, तुलसाराम पुत्र गणेशराम का 1/3 हिस्सा एवं हंसाराम मूलाराम, जीताराम ,पिसरान टीकमराम का 1/3 हिस्सा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी ने हंसाराम जी के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है न ही रूघाराम केसभी वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा अधिकार से परे जाकर कोई आदेश नही किया है। ढगलाराम जी पहले से ही खातेदार थे। जिसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या 01 के पति व अप्रार्थी संख्या 02 व 3 के पिता ढगलाराम का नाम दज किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। जिससे प्रार्थी कतई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थी के हक हकूक, खातेदारी की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पति तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 03 के पिता ढगलाराम के नाम की खातेदारी दर्ज कर दी जबकि सेटलमेन्ट अधिकारी, को

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

खातेदारी अधिकार देना या खातेदारी हटाने का अधिकार प्राप्त नही था। किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा प्रार्थी के दादा रूघा के हक हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के पिता ढगलाराम के नाम की दर्ज कर दी ढगलाराम वादग्रस्त आराजीयात में स्ट्रेनजर पर्सन था जिसका सेटलमेन्ट के पूर्व या पश्चात कभी भी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही रहा है जिससे ढगलाराम का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही आता है, जो प्रार्थी के हक व अधिकारों के हक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों की गलती तथा ढगलाराम के देहान्त हो जाने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया। जिससे वाद निर्णयन तक वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 2024 के उपभोग उपयोग मे दखल अन्दाजी नही करने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने का निवेदन किया। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने कोई विधि विरूद्ध इन्द्राज नही किया है। खसरा नम्बर 282/3 व 282/4 के खातेदार नेमा, तुलछा, पिसरान, गणेश का 2 हिस्सा व हंसा, भूला, जीता पिसरान टीकम का 1 हिस्सा था। जिसमें सेटलमेन्ट के दौरान ढगलाराम पुत्र नेमाराम का 1/3 हिस्सा तुलछाराम पुत्र गणेशराम का 1/3 हिस्सा एवं हंसाराम, मूलाराम, जीताराम, पिसरान टीकमराम का 1/3 हिस्सा दर्ज अनुसार चला आ रहा है। पर्चा लगान 747 में ढगलाराम पुत्र नेनाराम का 1/3 हिस्सा, तुलसाराम पुत्र गणेशराम का 1/3 हिस्सा एवं हंसाराम मूलाराम, जीताराम ,पिसरान टीकमराम का 1/3 हिस्सा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी ने हंसाराम जी के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है न ही रूघाराम केसभी वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। यघपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में जवाब दावा रेकर्ड पर लेकर, तनकियात कायम कर साक्ष्य/ सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। वादस्थ भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगण प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

—: आदेश :—

अत अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)